प्रेस विज्ञप्ति

सर्वविदित है कि बाल विवाह एक कुप्रथा है जिसकी रोकथाम अत्यावश्यक है। इसके अनेकों दुष्परिणाम होते है, यथा– बाल विवाह के कारण कम उम्र में माँ बन जाने के काण मातृ मृत्यु दर में वृद्वि होना, शिशु मृत्यु दर में वृद्वि होना, किशोरी का स्वास्थ्य खराब होना, खून की कमी (Anaemia) होना एवं कुपोषण का शिकार होना। यह एक दुखद स्थिति हैं, जबकि कानूनन बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है।

झारखण्ड में बाल विवाह की दर 38 प्रतिशत है, जो काफी भयावह है एवं पूरे भारत के 26.8 प्रतिशत से काफी अधिक है। जिलावार बाल विवाह का आंकड़ा निम्नवत् हैः–

1	Godda	63.5	13	Latehar	37.1
2	Garhwa	58.8	14	Bokaro	36.6
3	Deoghar	52.7	15	Saraikela	33.2
4	Giridih	52.6	16	Dhanbad	29.9
5	Koderma	50.8	17	Lohardaga	28.5
6	Chatra	49	18	Ranchi	28.1
7	Dumka	47.4	19	Khunti	27.8
8	Jamtara	44.7	20	Ramgarh	27.7
9	Pakur	41.1	21	E. Singhbhum	26.1
10	Hazaribagh	40.8	22	Gumla	24
11	Palamu	40.5	23	W. Singhbhum	21.3
12	Sahebganj	38.4	24	Simdega	14.7
		Jharkhand			38

बाल विवाह की रोकथाम हेतु सभी जिले के उपायुक्त को यह निदेश दिया गया है कि वे अपने जिले के ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह की बैठक में कम उम्र में होने वाले विवाह की रोकथाम का अनुमण्डल/अंचल स्तर पर कड़ा अनुश्रवण करेंगे।

बाल विवाह होने के पूर्व सूचना को विभाग 104 हेल्पलाईन से जोड़ रहा है तथा भविष्य में इसे 'मुखबिर योजना' के रूप में लाया जाएगा। इस संबंध में तीन जिलों यथा–राँची, पलामू तथा पूर्वी सिंहभूम से सूचना मिली है। विभाग इन्हे गम्भीरता से ले रहा है।

जहाँ बाल विवाह होने की सूचना मिली है उस जिले के सिविल सर्जन को निदेश दिया गया है कि वे परामर्शी के द्वारा उक्त जोड़ी को परिवार नियोजन संबंधी परामर्श दिलवाना सुनिश्चित करें ताकि किशोरी 20 वर्ष की आयु से पूर्व माँ न बन पाए ताकि उसका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।

सरकार के प्रधान सचिव।